रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25022023-243924
CG-DL-W-25022023-243924

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 7] नई दिल्ली, फरवरी 19—फरवरी 25, 2023, शनिवार/ माघ 30—फाल्गुन 6, 1944
No. 7] NEW DELHI, FEBRUARY 19—FEBRUARY 25, 2023, SATURDAY/ MAGHA 30—PHALGUNA 6, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 15.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति गृह मंत्रालय के अधीन निदेशक तथा उप निदेशक, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई 4सी) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं: -

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) समूह 'क' संवर्गबाह्य पद भर्ती नियम, 2023 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.-** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. अनर्हताएं:- कोई व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति अथवा पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि, केंद्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, कि किसी व्यक्ति पर इस नियम के लागू होने से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहाँ पर वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निदेशक	07* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	स्तर-13 [`1,23,100-2,15,900/-]	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं ।	क्या सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) ।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना हो ।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या संवैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान	लागू नहीं होता ।	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है ।

संस्था के अधिकारी जो, - (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हो; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 में नियुक्ति के बाद या मूल संवर्ग/ विभाग में समकक्ष स्तर पर 5 वर्षों की सेवा प्रदान की हो तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों, अर्थात्:- अनिवार्य शैक्षिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से किसी भी विषय में डिग्री या विधि में डिग्री; अनुभव : साइबर क्राइम या साइबर खतरा विश्लेषण या आंतरिक सुरक्षा या ई-गवर्नेंस या सार्वजनिक नीति या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या साइबर क्राइम अन्वेषण या अन्वेषण या साइबर क्राइम फोरेंसिक्स या फोरेंसिक्स या साइबर क्राइम के क्षेत्र में प्रशिक्षण या आंतरिक सुरक्षा या अनुसंधान और विकास या साइबर अनुसंधान या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या ई-गवर्नेंस और संबद्ध क्षेत्र में कम से कम चार वर्ष के अनुभव सहित स्थापना या प्रशासन या उपापन या वित्त या सतर्कता या कानूनी मामलों में दस वर्ष का अनुभव । वांछनीय योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या एमएससी (कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी) या बीई या बीटेक (इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी) । **टिप्पण:** भर्ती के समय शैक्षिक योग्यता (आवश्यक या वांछनीय योग्यता) और सुस्पष्ट अनुभव की आवश्यकता विनिर्दिष्ट की जाएगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप निदेशक	07* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	स्तर-11 [`67,700-2,08,700/-]	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) ।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या संवैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी:	लागू नहीं होता ।	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 या में नियुक्ति के बाद या मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य स्तर पर नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो; या (iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 या नियुक्ति के बाद या मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य स्तर पर नियमित आधार पर सात वर्ष की सेवा की हो; या (iv) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 या नियुक्ति के बाद या मूल संवर्ग या विभाग में समतुल्य स्तर पर नियमित आधार पर आठ वर्ष की सेवा की हो; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों, अर्थात्: अनिवार्य योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री; अनुभव : साइबर अपराध या साइबर खतरा विश्लेषण या आंतरिक सुरक्षा या ई-गवर्नेंस या सार्वजनिक नीति या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या साइबर अपराध अन्वेषण या अन्वेषण या साइबर अपराध फोरेंसिक या फोरेंसिक में न्यूनतम दो वर्ष के अनुभव सहित स्थापना या प्रशासन या उपापन या वित्त या सतर्कता में पांच वर्ष का अनुभव या साइबर अपराध या आंतरिक सुरक्षा या अनुसंधान और विकास या साइबर अनुसंधान या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या ई-गवर्नेंस और संबद्ध क्षेत्र में प्रशिक्षण । वांछनीय योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या एमएससी (कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी), या बीई या बीटेक (इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी) । **टिप्पण :** भर्ती के समय शैक्षिक योग्यता (अनिवार्य या वांछनीय योग्यता) और सुस्पष्ट अनुभव की आवश्यकता विनिर्दिष्ट की जाएगी ।		परामर्श आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12018/01/2020-प्रशा.-V]

एस.के. भार्गव, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 20th February, 2023

G.S.R. 15.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director and Deputy Director, Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.–**(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C), Group 'A' Ex-cadre Posts Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.–** These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.–** The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualifications.–**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.–**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Director.	07* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-13 (`1,23,100-2,15,900/-).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or university or recognised research institution,- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment thereto in level-12 (`78800 – 209200/-) in the pay matrix or equivalent on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely:- Essential educational qualification: Degree in any stream or Degree in Law from a recognised University or institute; **Experience:** Ten years' experience in establishment or administration or procurement or finance or vigilance or legal matters including minimum four years' experience in Cybercrime or Cyber threat analysis or Internal Security or e-governance or public policy or Information and Communication Technology or Cybercrime Investigation or Investigation or Cybercrime Forensics or Forensics or Training in the field of	Not applicable.	Consultation of the Union Public Service Commission is necessary for filling up the post.

Cybercrime or Internal Security or Research and Development or Cyber research or Information and Communication Technology or e-Governance and allied field. **Desirable Qualification:** Master's Degree in Computer Applications or M.Sc. (Computer Science or Information Technology) or B.E. or B. Tech. (Electronics or Electronics and Communication Engineering or Electronics and Telecommunication Engineering or Computer Science and Engineering or Computer Science or Computer Technology or Information Technology) from a recognised University or institute. **Note:** The requirement of educational qualifications (essential or desirable qualifications) and precise experience shall be specified at the time of recruitment.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Director.	07* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (`67,700-2,08,700/-).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or university or recognised research institution,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment thereto in level-10 (Rs.56100 – 177500/-) in the pay matrix or equivalent on a regular basis in the parent cadre or department; or (iii) with seven years' service rendered after appointment thereto in level-9 (Rs.53100 – 167800/-) in the pay matrix or equivalent on a regular basis in the parent cadre or department; or (iv) with eight years' service rendered after appointment thereto in level-8 (Rs.47600 – 151100/-) in the pay matrix or equivalent on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely:- Essential qualification: Bachelor Degree in any stream from a recognised university or institute; **Experience:** Five years' experience in establishment or administration or procurement or finance or vigilance including minimum two years' experience in Cybercrime or Cyber threat analysis or Internal Security or e-governance or public policy or Information and Communication Technology or Cybercrime Investigation or Investigation or Cybercrime Forensics or Forensics or Training in the field of Cybercrime or Internal Security or Research and Development or Cyber research or Information and Communication Technology or e-Governance and allied field. **Desirable Qualification:** Master's Degree in Computer Applications or M.Sc. (Computer Science or Information Technology), or B.E. or B. Tech. (Electronics or Electronics and Communication Engineering or Electronics and	Not applicable.	Consultation of the Union Public Service Commission is necessary for filling up the post.

Telecommunication Engineering or Computer Science and Engineering or Computer Science or Computer Technology or Information Technology) from a recognised university or institute. **Note:** The requirement of educational qualifications (essential or desirable qualifications) and precise experience shall be specified at the time of recruitment.		

[F.No. A-12018/01/2020-Ad.V]

S. K. BHARGAVA, Under Secy.

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 16.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, और क्षेत्रीय कुक्कुट फार्म (वर्ग III और वर्ग IV अराजपत्रित पद) भर्ती नियम 1965, जहां तक कि उनका संबंध कुक्कुट सहायक के पद से है और केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म, चंडीगढ़ भर्ती नियम 1986 में समूह 'ग' पद को, उक्त बातो के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय पशुपालन और डेयरी विभाग के अधीन केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन और केंद्रीय कुक्कुट प्रदर्शन परीक्षण केन्द्र में कुक्कुट सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन और केंद्रीय कुक्कुट प्रदर्शन परीक्षण केन्द्र (कुक्कुट सहायक) भर्ती नियम 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या विवाह की संविदा की है या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाद की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शाक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियासतों पर प्रभाव नही डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों, **अन्य पिछडें वर्गों,** भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्याक्ति के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कुक्कुट सहायक	7* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग': अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-3 (21700-69100 रु.)	अचयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	कुछ नहीं	सौ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति द्वारा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (81000-56900 रु.) में ऐसे कुक्कुट परिचारक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पणः जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः- i. विभाग में निदेशक या उप सचिव या संयुक्तायुक्त या उपायुक्त -**अध्यक्ष** ii. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन या केन्द्रीय कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्र के निदेशक या भारसाधक निदेशक - **सदस्य** iii. प्रभाग के अवर सचिव - **सदस्य** ।	लागू नहीं होता।

[फा.सं.क्यू-14012/2/2018-प्रशा-6]

मनीष कुमार दिवाकर, अवर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

New Delhi, the 20th February, 2023

G.S.R. 16.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Regional Poultry Farms, (Class III and Class IV Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 1965, in so far as they relate to the post of Poultry Assistant and the Group C posts in the Central Poultry Breeding Farm, Chandigarh, Recruitment Rules, 1986 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Poultry Assistant in the Central Poultry Development Organisations and Central Poultry Performance Testing Centre under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, namely:-

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Central Poultry Development Organisations and Central Poultry Performance Testing Centre (Poultry Assistant) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.-**The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.–**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation in age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Poultry Assistant.	7* (2023). * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 3 (Rs. 21700-69100).	Non selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Nil

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**	**If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Hundred per cent by promotion.	By Promotion amongst Poultry Attendant in Level-1(Rs. 18000-56900) in pay matrix with three years of regular service in the grade. **Note :** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (i) Director or Deputy Secretary or Joint Commissioner or Deputy Commissioner in the Department - Chairman (ii) Director or Director-in-charge of concerned Central Poultry Development Organisations or Central Poultry Performance Testing Centre - Member (iii) Under Secretary of the Division- Member	Not applicable.

[F. No. Q-14012/2/2018-Admin-6]

MANISH KUMAR DIWAKER, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.02.25 11:43:00 +05'30'